

07/05/19

जनपद अल्मोड़ा में तहसील द्वाराहाट के अन्तर्गत सौनी-देवलीखेत-इयौड़ाखाल-महादेव मोटर मार्ग के 10 कि०मी० से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित 2.205 है० वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल-4.410 सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 निर्गत शासनादेश के अनुपालन में उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में धिकारी द्वाराहाट के पत्रांक 114/दिनांक 15.02.2019 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर याचक अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के पत्रांक 571 दिनांक 23.02.2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवतः अभिलेखों तिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दिनांक 11.08.2017 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त रिपोर्ट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा रित प्रारूप-2, तथा उप जिलाधिकारी द्वाराहाट की संस्तुति सहित आख्या सहित अपर संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय रेस्ट, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/06/162/2016/एफ.सी./627, दिनांक 17 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर वृक्षारोपण हेतु ग्राम-असगोली, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र-असगोली, तहसील-द्वाराहाट 0वि०ख०खा०संख्या-156 की श्रेणी-9(3)इ "बंजर काबिल आवाद" भूमि के पैमायसी खेत 257 का रकवा 0.768, खेत नम्बर 1333 का रकवा 1.374 खेत नम्बर-400 का रकवा 1.10 खेत नम्बर 450 का रकवा 1.293, खेत नम्बर 454 मध्ये 0.307 अर्थात् पाँच खेत नम्बरों की 10 हैक्टर सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में रत की जाती है। तहसीलदार द्वाराहाट उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदखल परान्त खतौनी तकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध जाना सुनिश्चित करें।

(नितिन सिंह भदौरिया)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या-2802 / ग्यारह-15 / 2018-19, दिनांक: 06-05-2019

फरवरी, 2019

निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत जनपद अल्मोड़ा।

तहसीलदार, द्वाराहाट को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
06.05.19

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

उद्धरण खतौनी मौजा- असगोली

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र- असगोली

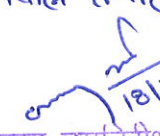
तहसील द्वाराहाट

जिला-अल्मोड़ा

खाता सं०	खातेदार का नाम	भौतिक अधिकार का वर्ष	गाटा सं०	रकबा (है०)	लगान	विवरण
1	2	3	4	5	6	7-12
156.	बंजर काबिल आबाद	1374	4	0.004		जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं० 2802/ग्यारह-15/2018-19 दिनांक 06-05-2019 के क्रम में खाता सं० 156 के खेत नं० 1257 रकबा 0.768 है०, खेत नं० 1333 रकबा 1.374 है०, खेत नं० 400 रकबा 0.668 है०, खेत नं० 450 रकबा 1.293 है०, खेत नं० 454 रकबा 0.307 है० कुल रकबा 4.410 है० भूमि क्षतिपूर्त वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामांतरित की। ह० रा० 30 नि० असगोली दि० 11/07/2019
			5	0.292		
			11	0.026		
			क्रमशः	क्रमशः		
			387	1.024		
			400	0.680		
			425	0.026		
			क्रमशः	क्रमशः		
			450	1.293		
			454	0.375		
			461	0.025		
			क्रमशः	क्रमशः		
			1255	0.006		
			1257	0.768		
			1264	0.004		
			1267	0.029		
			1276	0.010		
			1283	0.076		
			1333	1.374		
			1342	0.015		
			क्रमशः	क्रमशः		
			1035	0.249		
			19082			
			3957	0.025		
			19083			
			18549	0.050		
			19087			
	योग		1999	156.256		

महोदय,

असल से नकल तैयार किया।


 18/11/20
 राजस्व उपनिरीक्षक
 क्षेत्र असगोली
 तहसील द्वाराहाट (अल्मोड़ा)